

“विजनेस पेरट के भानुराज डाक
सूल्क के नाम भुगतान (विना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक
बी. 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38.पि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्घा/
सो. ओ/राष्ट्रपुर/17/2002.”

Pt. Sunderlal Sharma
Act. 2005

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

राष्ट्रपुर, सोमवार, दिनांक 24 जनवरी 2005—पात्र 4, शक 1926

विधि और विधायी कार्य विभाग

राष्ट्रपुर, दिनांक 24 जनवरी 2005

क्रमांक 640/21-अ/प्रारूपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20-01-2005 को
राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एवंहारा सर्वसाधारण वीच जामकारी के सिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा अवैशामुख्य,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव,

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(दिनांक 26 सन् 2004)

पण्डित सुन्दरलाल शार्मा (मुख) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004

विषय सूची

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ
2. परिभाषाएं
3. विश्वविद्यालय का गठन एवं नियमन
4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य
5. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ
6. विश्वविद्यालय का सभी जाति, पंथ वर्ग के लिए खुला होना
7. विश्वविद्यालय के अधिकारी
8. कुलाधिपति
9. कुलपति
10. कुलसचिव
11. वित्त अधिकारी
12. क्षेत्रीय निर्देशक
13. अन्य अधिकारी
14. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी
15. कार्यपरिषद्
16. विद्यापरिषद्
17. योजना मण्डल
18. विभाग

19. अध्ययन मण्डल
20. वित्त समिति
21. अन्य प्राधिकारी
22. विश्वविद्यालय निधि
23. उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन हो सकेगा
24. समन्वय समिति
25. परिनियम
26. परिनियम कैसे बनाए जाएंगे
27. अध्यादेश
28. विनियम
29. वार्षिक प्रतिवेदन
30. वार्षिक लेखा
31. कर्मचारियों की सेवा शर्तें
32. विवादों का निर्णय
33. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद
34. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना
35. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाही रिक्तियों के कारण
अविधिसान्य नहीं होगी
36. सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण
37. कठिनाइयों का निराकरण
38. संक्रमणीय उपबंध
39. राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी
40. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के
लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियम को उपांतरिक रूप
में लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति
41. परिणाम जो धारा 40 के अधीन अधिसूचना के प्रवर्तन की
कालावधि का अवसान होने पर होगा

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 26 संख्या 2004)

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004

खुले विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के उन्नयन एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तथा उससे संबंधित अनुपांगिक विषय पर राज्य स्तर पर खुला विश्वविद्यालय की स्थापना एवं गठन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचमनवें वर्ष के छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 होगा।

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ भूज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. इस अधिनियम तथा परिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

परिभाषाएँ

- (क) “विद्या परिषद्” से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;
- (ख) “समन्वय समिति” से अभिप्रेत है; छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 34 के अंतर्गत गठित समिति;
- (ग) “विभाग” से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय का विषय से संबंधित विभाग;
- (घ) “दूरस्थ शिक्षा पद्धति” से अभिप्रेत है; शिक्षा प्रदान वारने की यह पद्धति जो संचार की किसी प्रणाली यथा प्रसारण, दूरदृशी से प्रसारण, दृष्ट्य श्राव्य, श्राव्य प्रणाली, पत्राचार पात्र्यक्रम, संगोष्ठी, संघर्ष कार्यक्रम, या किन्हीं दो या दो से अधिक पद्धतियों के योग से दी जाये;
- (ङ) “कर्मचारी” से अभिप्रेत है; ऐसा कोई भी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त हो तथा इरामें शिक्षाक तथा अन्य शैक्षणिक व्यक्ति भी शामिल है;
- (च) “वित्त समिति” से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय की वित्त समिति;
- (छ) “इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय” से तात्पर्य है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (1985 का क्रमांक 50) की धारा 3 के अंतर्गत निर्मित विश्वविद्यालय;
- (ज) “कुलपति” से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय का कुलपति;
- (झ) “अध्यादेश” से अभिप्रेत जो इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित अध्यादेश;
- (झ) “योजना मण्डल” से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय का योजना मण्डल;
- (ट) “होप्रीय केन्द्र” से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या निर्मित केन्द्र जो उन योग्यों के अध्ययन में रामनवय तथा निरीक्षण कर राके जो किसी भी क्षेत्र में स्थापित किया गया है जैसा कि कार्यपरिषद् द्वारा अधिकृत किया गया हो;
- (ठ) “विनियम” से अभिप्रेत है; इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियम;
- (ड) “परिनियम” से अभिप्रेत है; इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित परिनियम;
- (ढ) “छात्र” से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय का छात्र जिसमें ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं

जिसने विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु अपना नामांकन कराया हो;

- (म) "अध्ययन केंद्र" से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय द्वारा गठित, पोषित, मान्य ये केन्द्र जो विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकतानुसार परामर्श, सलाह या अन्य कोई सहायता देने हेतु बनाया गया हो;
- (न) "शिक्षक" से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय में जच्चापन तथा छात्रों जो किसी भी पाठ्यक्रम के हों को भार्गदर्शन देने वाले ऐसे आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य तथा अन्य ऐसे व्यक्तिज्ञों अध्यादेश द्वारा गठित हो तथा इसमें क्षेत्रीय केंद्र व शिक्षण केंद्र के पूर्ण कालिक व अंश कालिक शिक्षक भी आते हैं;
- (३) इस अधिनियम द्वारा परिभाषित नहीं किए गए शब्दों का यही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 4 में विद्यमान है।
- (द) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है; इस अधिनियम के अंतर्गत गठित परिषद सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय;
- (घ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (क्र. 3 सन् 1956) के अंतर्गत गठित आयोग;

3. विश्वविद्यालय का गठन तथा निगमन

- (१) विश्वविद्यालय का गठन किया जावेगा जिसका नाम "परिषिद्ध सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़" होगा।
- (२) इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय बिलासपुर में होगा तथा इसके क्षेत्रीय केंद्र व अध्ययन केंद्र ऐसे रचनाओं में होंगे जैसा कि उपस्थित हो।
- (३) प्रथम मुख्यपति और प्रथम वार्ष्यपरिषद्, विद्यापरिषद्, व योजना बण्डल तथा इसके पश्चात् वे समर्पित व्यक्ति जो ऐसा अधिकारी या सदर्य जब तक ऐसा अधिकारी या सदर्य रहे एक निर्गमित निकाय परिषिद्ध सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के नाम से गठन करें।
- (४) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी सामान्य मुद्रा होगी, वह उक्त नाम से घास चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध घास चलाया जावेगा।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य

विश्वविद्यालय के उद्देश्य होंगे -

- (एक) विभिन्न माध्यमों के द्वारा जिसमें प्रसारण सक्तीक भी सम्मिलित है, शिक्षा तथा ज्ञान का उन्नयन एवं प्रसारण करना।
- (दो) समाज के व्यापक दर्तों को उच्च शिक्षा के अवश्य प्रदान कर तथा समाज के शिक्षणिक कल्याण योग्योत्तमाहित करना।
- (तीन) सरकार के शिक्षा पद्धति में खुला शिक्षा विश्वविद्यालय पद्धति तथा दूरवर्ती शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देना।

5. (1) विश्वविद्यालय को निम्न शक्तियाँ होंगी अर्थात्-

(एक) ज्ञान की ऐसी शाखाएं, तकनीक, व्यापार, व्यवसाय जैसा कि समय-समय पर

विश्वविद्यालय निर्धारित करे शिक्षण देना तथा प्रायोजित शोध कार्य के लिए उपयोग बनाना;

(दो) विसी डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या अन्य प्रयोजन के लिए पाठ्यक्रम व योजना बनाना;

(तीन) परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले व्यक्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन करना तथा उन्हें डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या अन्य मान्यता देना;

(चार) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शिक्षणिक कार्यक्रमों से संबंधित दूरस्थ शिक्षा हेतु पद्धति निर्धारित करना;

(पांच) विद्या संबंधी सामग्री तैयार करने के लिए, शिक्षा देने के लिए या अन्य विद्वता कार्य करने के लिए जिसमें मार्गदर्शन, पाठ्यक्रम सामग्री का परिदाय तथा छात्रों द्वारा किये कार्य का मूल्यांकन करने हेतु आचार्य, प्रवाचक, सहायक आचार्य व अन्य विद्वता पद का निर्माण करना व उस पर नियुक्ति करना;

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा के संस्थानों, व्यवसायिक निकायों संगठनों को सहयोग करना व सहयोग प्राप्त करना, जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे;

(सात) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पुस्तकार व ऐसे पारितोषिक किसी योग्यता के लिए संस्थित करना जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे;

(आठ) ऐसे क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना करना व पोषण करना जैसा कि समय-समय पर विश्वविद्यालय निर्धारित करे;

(नौ) ऐसे तरीकों से अध्ययन केंद्र की स्थापना करना, पोषण करना व मान्यता देना जैसा कि परिनियमों में उल्लेख हो;

(दस) ऐसी शिक्षणिक सामग्री जिसमें फिल्म, केसेट्स, टेप्स, वीडियो केसेट्स व अन्य साप्टवेयर को उपलब्ध कराना;

(चारह) शिक्षकों, पाठ लेखकों, मूल्यांकणों व अन्य शिक्षणिक रटोफ ये लिए पुनर्शप्तया पाठ्यक्रम, कार्यशाला, रांगोठी व अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना;

(दाहर) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या उच्च शिक्षा के संस्थाओं की परीक्षाओं अध्ययन काल (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं या अध्ययन काल के समरूप मान्यता देना या किसी समय मान्यता निरस्त करना;

(तेरह) प्रायोजित शोध या शिक्षा तकनीक में विसास व अन्य संबंधित विषय हेतु प्रावधान करना;

(घोटह) प्रशासनिक, लिपियां यगीय व अन्य पदों या सूजन करना व उनमें नियुक्ति करना;

(पंद्रह) धर्मदान, दान, उपहार प्राप्त करना, ऐसी चल या अचल सम्पत्ति जिसमें न्यास व न्यास संपत्ति शामिल है विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए प्राप्त करना, स्खना, धारण करना, देना तथा पोषण करना, गेचना;

विश्वविद्यालय
की शक्तियाँ

(सोलह) राज्य शासन के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति के प्रतिमूलि या अन्यथा

विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए धन उधार लेना;

(सत्रह) किसी संविदा को निरस्त करना, परिवर्तित करना, संपादन करना, प्रविष्ट करना,

(अठारह) अध्यादेशों द्वारा निर्धारित शुल्क व अन्य प्रभार मांग करना व प्राप्त करना;

(उन्नीस) छात्रों व अन्य कर्मचारियों में अनुशासन का नियंत्रण करना, निर्धारण करना तथा

ऐसे कर्मचारियों की आचरण संहिता बनाना तथा सेवा शर्तें निर्धारित करना;

(दीस) विजिटिंग प्रोफेसर, विद्यान प्रोफेसर, सलाहकार, फेलोज, शोधार्थी, कलाकार,

पाठ्यपुस्तक लेखक व अन्य ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति संविदा में या अन्यथा करना जो

विश्वविद्यालय के विषयों की उन्नति में योगदान दे सकें;

(इक्षीस) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, संगठनों में कार्यस्त् व्यक्तियों को जिसमें शिक्षक

के रूप में मान्य किया गया हो ऐसी शर्तों के अधीन जो अध्यादेशों द्वारा निर्धारित हो

मान्यता देना;

(बाइस) विश्वविद्यालय के पाद्यक्रमों में छात्रों के प्रयोग हेतु मानक निर्धारित करना जिसमें

परीक्षा, मूल्यांकन व परीक्षण की अन्य विधियां आती हों;

(तेहस) कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य तथा कल्याण में अभिवृद्धि की व्यवस्था करना;

(घोषीत) विश्वविद्यालय के समरत या किन्हीं शक्तियों जो विश्वविद्यालय के समरत या किन्हीं

उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे अनिवार्य व नैमित्तिक समस्त कार्य करना।

(2) तत्समय किसी अन्य विधि के होते हुए किन्तु उपर्युक्त (1) के ग्रावधानों में हानि किए विना

विश्वविद्यालय का यह यात्राव्य होगा कि वह ऐसे समरत उपाय जो वह उचित समझे करे

जिसमें विश्वविद्यालय व दूरस्थ शिक्षा पढ़ति और उस पढ़ति में अध्यापन के रूप, मूल्यांकन

व शोध में उन्नति हो। विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए “इंदिरा गांधी राष्ट्रीय

मुक्त विश्वविद्यालय” से रोहयोग प्राप्त करेगा तथा देखोगा कि संभवतया खुले अध्यापन पद्धति

में उनके शैक्षणिक मानदण्डों के बराबर हो।

6. विश्वविद्यालय का सभी जाति, पंथ, धर्म के लिए सुला होना

विश्वविद्यालय धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जान्म स्थान या भाषा भारत के किसी भी नागरिक के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा।

7. विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे -

(एक) कुलाधिपति;

(दो) कुलपति;

(तीन) कुलराजिव;

(चार) क्षेत्रीय निदेशक :

(पांच) वित्ताधिकारी;

(छः) विश्वविद्यालय की सेवा में अन्य अधिकारी, जो कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएँ।

८. (१) छत्तीसगढ़ का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

कुलाधिपति

(२) उपर्युक्त (३) व (४) के अधीन कुलाधिपति विश्वविद्यालय को आदेश दे सकेगा कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा भवन, प्रयोगशाला व उपकरण, किसी क्षेत्रीय केंद्र, जाध्यबन केंद्र में होने वाले अव्यापन, परीक्षा व अन्य कार्य का तथा विश्वविद्यालय के प्रशासकीय, वित्तीय तथा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करे।

(३) जहां कुलाधिपति द्वारा जांच या निरीक्षण आदेशित हो, विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त द्वारा सकेगा और यह उस जांच या निरीक्षण में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा।

(४) ऐसी जांच या निरीक्षण पर कुलाधिपति द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित अपने विधान एवं परामर्श से कुलाधिपति को अवगत कराएगा, ऐसा संबोधन प्राप्त करने पर कुलाधिपति ऐसी जांच या निरीक्षण पर कुलाधिपति द्वारा किए जाने वाली कार्यवाही से संबंधित विचार तथा परामर्श कार्य परिवद को संतुष्टित करेगा।

(५) चुकियुक समय के भीतर कुलाधिपति के संतोष के अनुसार कार्यपरिवद् कार्यवाही न करे तो कुलाधिपति कार्य परिवद् द्वारा प्रस्तुत किसी रूपांकण या अन्यायेदन पर विचार कर ऐसा निदेश दे सकेगा जैसा यह उचित समझे, ऐसे निदेश का पालन करने के लिए कार्यपरिवद् बाध्य होगा।

(६) इस खण्ड के अन्य प्रावधानों पर दिना पक्षपात्र किए युलाधिपति लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी भी कार्यवाही को जो इस अधिनियम, उसमें निहित परिनियम, जाध्यवेश से अनुरूप न हो, बातिल कर सकेगा।

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश करने के पूर्य वह विश्वविद्यालय को यह कारण दर्शने के लिए अपेक्षित करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जावे और यदि उसके द्वारा युक्तियुक समय के अंदर ऐसा कारण दर्शाया गया हो तो उस पर विचार करेगा।

(७) कुलाधिपति के पास ऐसी समरूप शक्तियां होंगी जो परिनियम द्वारा निर्धारित हो।

९. (१) कुलाधिपति की नियुक्ति उपर्युक्त (२) या उपर्युक्त (६) के अधीन गठित खोज समिति द्वारा अनुशासित किए गए शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात कानून से कम तीन व्यक्तियों की तालिका (पैनल) में से कुलाधिपति द्वारा राज्य शासन के परामर्श के पश्चात् की जावेगी। परन्तु यदि समिति द्वारा अनुमोदित किए गए व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति नियुक्त प्रतिशृंखला करने के लिए रजामंद न हो तो कुलाधिपति ऐसी खोज समिति से नई अनुशासन मंगा सकेगा।

कुलपति

परन्तु यह और भी कि प्रधानमंत्री राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

- (2) कुलाधिपति एक खोज समिति नियुक्त करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्—
 - (एक) कार्यपरिषद् द्वारा अनुशासित किया गया एक व्यक्ति;
 - (दो) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;
 - (तीन) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक व्यक्ति;

कुलाधिपति इन तीन व्यक्तियों में से एवं वां समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।
- (3) उपचारा (2) के अधीन समिति गठित करने के लिए कुलाधिपति, कुलपति की अवधि का अवसान होने के छः मास पूर्व कार्य परिषद् तथा छत्तीसगढ़ विधान सभा अध्यक्ष को अपने—अपने नामनिर्देशितियों को छुनने के लिए अपेक्षित करेगा और यदि उसमें से कोई भी या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहे, तो कुलाधिपति यथास्थिति, पुनः किसी एक या दोनों व्यक्तियों को नाम निर्देशित कर सकेगा।
- (4) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संशब्दित है, उपचारा (2) के अधीन समिति के लिए निर्वाचित या नाम निर्देशित नहीं किया जाएगा।
- (5) समिति अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह के भीतर या कुलाधिपति द्वारा बढ़ाए गए चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर तालिका प्रस्तुत करेगी।
- (6) यदि किन्हीं कारणों से यह समिति, जो उपचारा (2) द्वारा गठित की गई है, उपचारा (5) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने से असफल रहती है, तो कुलाधिपति एक अन्य समिति गठित करेगा जिसमें तीन शिक्षाविद्, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संशब्दित नहीं है जिनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में अभिहित किया जाएगा। इस प्रकार गठित की गई समिति अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह की कालावधि के भीतर या ऐसी लघुतर कालावधि, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर तीन व्यक्तियों की तालिका प्रस्तुत करेगी।
- (7) यदि उपचारा (6) के अधीन गठित की गई समिति उस उपचारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो कुलाधिपति, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे यह उपयुक्त समझे, राज्य शासन के परामर्श पर कुलपति के रूप में नियुक्त कर सकेगा।
- (8) राज्य शासन एक शिक्षाविद् की नियुक्ति नयानिति विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर करेगा जो दो वर्ष से अधिक अवधि की नहीं होगी तथा ऐसा नियुक्त व्यक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख के छः माह के भीतर, कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन करें और उन प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपति, यथास्थिति,

कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् या ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जाएगा और उस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राप्तिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कार्यों का पालन करेगा।

परन्तु कुलाधिपति, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या सभी दीन समझता है तो वह राज्य सरकार के पश्चात् पालने में पश्चात् सीन सदस्यीय रमिति नियुक्त करेगा जिसमें एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा वित्तीय विशेषज्ञ होगा, कुलपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा कृत्यों का पालन करने में सहायता एवं सलाह देगी।

(9) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी उपलब्धियों एवं रोपण के अन्य निवेशन तथा शते परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

(10) कुलपति चार वर्ष की अवधि तक अथवा 70 वर्ष की आयु तक भी पहले ही पद धारणा करेगा और वह दो से अधिक पदावधियों के लिये नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु उसकी अवधि का अवसरान हो जाने पर भी, वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाए और वह अपना पद छोड़ना कर ले, किन्तु यह कालावधि किसी भी दशा में उस से अधिक नहीं होगी।

(11) यदि किसी राज्य अन्यावेदन किया जाने पर या अन्यथा और ऐसी जांच, जो कि आवश्यक समझी जाए, करने के पश्चात् कुलाधिपाते को यह प्रतीत हो कि कुलपति ने:-

(का) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किए गए किसी कार्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है; या

(ख) विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य किया है; या

(ग) वह विश्वविद्यालय के कार्यकालियों का प्रबंध करने में असमर्थ है तो कुलाधिपति, इस कार्यके हात हुए भी कि कुलपति की पदावधि का अवसरान नहीं हुआ है, एक लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कारणों का विवरण रहेगा, कुलपति से यह अपेक्षा काप रखेगा कि वह ऐसी तारीख से, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद त्याग दे।

(12) उपधारा (11) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा यदि उन आधारों की विशिष्टियों, जिन पर कि ऐसी पार्श्वाई का किया जाना प्रस्तावित है, कुलपति को संतुष्टि नहीं कर दी गई है तथा उन प्रत्यावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है।

(13) उपधारा (11) के अधीन के आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से वह समझा जायेगा कि कुलपति ने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद विक्षण हो जायेगा।

(14) कुलपति यी मृत्यु, उसके पदलापन, हुटटी, रुग्णता के कारण या अन्य कारण से उसका पद रिक्त होने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, तो कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम भित्तिशिल किया गया किसी भी संकाय का संकायाध्यक्ष कुलपति

के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जब तक कि उपचारा (1) या उपचारा (7) के अधीन नियुक्त किया भया कुलपति अपना पद वाचास्थिति ग्रहण या पुनः ग्रहण न कर ले। परंतु इस उपचारा के अधीन अनुशासन किया गया इंतजाम छः माह से अधिक कालावधि के लिये छालू नहीं रहेगा।

(15) कुलपति, विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी तथा विद्या विषयक अधिकारी होगा, वह कार्य परिषद् का तथा विद्या परिषद् का पैदेन सदस्य एवं अध्यक्ष, तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समिति तथा निकायों का, जिनका कि वह सदस्य है, अध्यक्ष होंगा, वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय के किसी भी दैठक में उपस्थित होने से बोलने का हकदार होगा, किन्तु वह उसमें भत देने का सब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय का सदस्य न हो।

(16) यह तुनिश्चित कारना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों अवधारणों तथा विनियमों का निष्पापूर्व अनुपालन किया जाता है और उसे इन प्रयोजन वा लिये समर्पित आवश्यक शक्तियों प्राप्त होगी।

(17) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद् के तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समितियों तथा निकायों के, जिनका कि वह अध्यक्ष है, वैठक बुलाने की शक्ति होगी, वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(18) यदि कुलपति के राय में कोई ऐसी आपातस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें तुरन्त कार्यवाही की जाना अपेक्षित है, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, यथाशीघ्र, अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को करेगा, जो कि मानूनी अनुक्रम में उस मामले के संबंध में कार्यवाही करता। परंतु कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही से विश्वविद्यालय तीन माह से अधिक कालावधि के लिये किसी भी आवासी व्यय हेतु बचनबद्ध नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि जहाँ कुलपति द्वारा की गई ऐसी कोई कार्यवाही विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती है वहाँ ऐसा व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको कि उसी ऐसी कार्यवाही की संसूचना दी गई है, तीस दिन के भीतर कार्य-परिषद् को अपील प्रस्तुत करने का हकदार होगा।

परंतु यह भी इस शक्ति का विस्तार अध्यादेशों, परिनियमों, विनियमों, में संशोधन या नियुक्ति वा संबंधित किसी मामले पर नहीं होगा।

(19) उपचारा (18) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन नहीं करता है, तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्देशित करेगा जिसका कि उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

- (20) उपधारा (18) के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही समुचित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही समझी जायेगी जब तक की वह उपधारा (19) के अधीन दिये गये निर्देश के प्राप्त होने पर कुलाधिपति द्वारा अपारत नहीं कर दी गई है या उपधारा (18) के द्वितीय परन्तुक के अधीन अपील किये जाने पर कार्य परिषद् द्वारा अपास्त नहीं कर दी गई है।
- (21) यदि कुलपति के राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय की वित्ती भी कार्यवाही से विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है, तो वह अपने कारण अभिलेखित करेगा तथा सामला कुलाधिपति को निर्देशित करेगा और तदनुसार उसकी इतिलाला संवंधित प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को भी देगा जो तब तक प्रभावशील नहीं किया जायेगा जब तक कि सामला कुलाधिपति द्वारा घारा 9 की उपधारा (18) के अधीन विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है।
- (22) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकालार्पों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनियमों को प्रभावशील करेगा।
- (23) पुल्लपति एसी अन्य शक्तियों का प्रयोग यहेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा पिछल की जाए।

10. (1) कुलसचिव ऐसे तरीके, परिलक्षियों व अन्य सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त किया जायेगा जैसा कुलसचिव

यि परिनियम द्वारा नियत किया जाए।

(2) कार्यपरिषद् द्वारा अधिकृत किये जाने पर कुलसचिव समझौतों और अन्य अभिलेखों पर विश्वविद्यालय की ओर से हस्ताक्षर कर सत्यापित करेगा।

(3) कुलसचिव ऐसी शक्तियों का उपयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जायें।

(4) प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर दो वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यि जायेगी।

11. (1) वित्त अधिकारी ऐसे तरीके से, परिलक्षियों व अन्य सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त होगा तथा वित्त अधिकारी ऐसी शक्तियों का उपयोग करेगा व ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जायें।

(2) वित्त अधिकारी की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर की जायेगी।

12. प्रत्येक निर्देशक ऐसे तरीके, परिलक्षियों व अन्य सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त किए जाएंगे क्षेत्रीय निर्देशक जैसा कि परिनियमों द्वारा नियत किए जाएं।

13. अन्य अधिकारी

अन्य अधिकारियों के नियुक्ति का तरीका, परिलक्षियाँ एवं सेवा शर्तें तथा शक्तियाँ व कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियम द्वारा नियत किए जायें।

14. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के निम्न प्राधिकारी होंगे -

- (1) कार्य परिषद्
- (2) विद्या परिषद्
- (3) योजना मण्डल
- (4) विभाग
- (5) अध्ययन मण्डल
- (6) वित्त समिति एवं
- (7) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिसे परिनियमों द्वारा प्राधिकारी घोषित किया जाये।

15. कार्यपरिषद्

- (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख कार्यकारी निकाय होगी जिसमें तेरह से अनधिक सदस्य होंगे उनमें सात से अनधिक शासकीय अधिकारी होंगे।
- (2) कार्यपरिषद् की संचालना, उसके सदस्यों की पदाधित तथा उनकी शक्तियाँ व कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियम द्वारा निर्धारित किए जायें।

16. विद्या परिषद्

- (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख विद्वान् निकाय होगी जिसमें 15 से अनधिक सदस्य होंगे उनमें धार से अनधिक शासकीय अधिकारी होंगे और इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों के अधीन नियंत्रण व सामान्य विनियमन होगा। विश्वविद्यालय में शोध के स्तर की देखरेख, सीख, शिक्षा, निर्देशन, मूल्यांकन, एवं परीक्षा के संचालन हेतु जिम्मेवार होंगी तथा ऐसी शक्तियों का उपयोग व कर्तव्यों का पालन करेंगी जैसा कि परिनियम द्वारा निर्धारित हो।
- (2) विद्या परिषद् के गठन, उसके सदस्यों की पदाधित का निर्धारण परिनियम द्वारा होगा।

17. योजना मण्डल

- (1) विश्वविद्यालय का एक योजना मण्डल होगा जिसमें नी से अनधिक सदस्य होंगे जिसमें राजीन से अनधिक शासकीय अधिकारी सदस्य होंगे। यह विश्वविद्यालय की योजना हेतु प्रयुक्त मण्डल होगा तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप विश्वविद्यालय के विकारा के निरीक्षण के लिए जिम्मेवार होगा।
- (2) योजना मण्डल का गठन उसके सदस्यों की पदाधित तथा शक्तियाँ व कर्तव्य परिनियम द्वारा निर्धारित किए जावेंगे।

18. (1) विश्वविद्यालय को ऐसे विभाग होंगे जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर निर्धारित करे। विभाग
 (2) विभाग की संरचना उनकी शक्तियाँ एवं कर्तव्य परिनियम द्वारा निर्धारित किए जावेंगे।
19. (1) प्रत्येक विषय या विषयों के समूह के लिए अध्ययन मण्डल होगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा अध्ययन मण्डल
 निर्धारित किया जावेगा।
 (2) अध्ययन मण्डल की संरचना, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियाँ व कर्तव्य ऐसे होंगे जो नियम द्वारा निर्धारित किए जावेंगे।
20. (1) वित्त समिति की संरचना, शक्तियाँ व कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियम द्वारा निर्धारित किये जावेंगे।
 (2) ऐसा कोई भी निर्णय जो वित्तीय भार डालते हों विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा वित्त समिति के पूर्व समर्थन के बिना नहीं लिये जावेंगे।
21. परिनियम द्वारा धोखित विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की संरचना, उनकी शक्तियाँ व कर्तव्य ऐसे होंगे जो कि परिनियम द्वारा निर्धारित किए जावें। अन्य प्राधिकारी
22. (1) विश्वविद्यालय एक निपुं स्थापित करेगा जो विश्वविद्यालय निधि कहलायेगी। विश्वविद्यालय निधि
 (2) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि के भाग होंगे या उसमें जुटेत किये जाएंगे -
 (i) कोई ऋण, केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा दिया गया कोई अभिदाय या अनुदान;
 (ii) न्यास, वंशीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेंट्स) तथा अन्य अनुदान यदि कोई हो;
 (iii) समरत चोतों ने हुई विश्वविद्यालय की आय जिसके अन्तर्गत कीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय आती है;
 (iv) विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त की गई समरत अन्य सांशेयाँ।
 (3) विश्वविद्यालय निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जावेगी।
23. (1) विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा -
 (i) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियम, अध्यादेश तथा विभिन्न के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अपग्रेट किये गये ऋणों के प्रतिसंदाय;
 (ii) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये विभागों, क्षेत्रीय केंद्रों, अध्ययन केंद्रों, छोटासासों की संपत्ति के अनुरक्षण;
 (iii) विश्वविद्यालय निधि की संपरीक्षा के खर्च के संदाय;

- (iv) किन्हीं भी ऐसे बाद या कार्यवाहियों में जिनमें कि विश्वविद्यालय एक पक्षकार हो व्ययों
(v) विश्वविद्यालय द्वारा घलाए जाने वाले धेनीय केन्द्रों, अध्यायन केन्द्रों और विश्वविद्यालय
के विभागों के शिक्षकों व गैर शिक्षकों के बेतन भत्ते जो इस अधिनियमों, परिनियमों
अव्यादेशों के उद्देश्यों की पूर्ति करते हों, का संदाय करना;
- (vi) इस अधिनियम, परिनियमों, अव्यादेशों व विनियमों के अंतर्गत निर्भित प्राधिकारियों
के सदस्यों के यात्रा व अन्य भत्तों का संदोध करना;
- (vii) विद्यार्थियों को अधिभाव वृत्तियों, छात्र वृत्तियों, तथा अन्य पुरस्कारों के संदाय;
- (viii) इस अधिनियम तथा उसके आवीन बनाए गए परिनियमों, अव्यादेशों और विनियमों
के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालय द्वारा उपरांत किये गये किन्हीं भी
व्ययों के संदाय;
- (ix) पूर्णतया खण्डों में से किसी भी खण्ड में विनिर्दिष्ट न किये गये किसी ऐसे अन्य व्यय
के, जो कि कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय घोषित किया
गया हो, का संदाय।
- (2) कार्य परिषद् द्वारा वर्ष के कुल आवर्ती व्यय तथा युल अनावर्ती व्यय के लिए नियत की गई¹
सीमाओं से अधिक कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जावेगा।
- (3) एस व्यय से, जिसका कि बजट में प्रावधान किया गया हो मिल कोई भी व्यय विश्वविद्यालय
द्वारा, कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जावेगा।

24. समन्वय समिति

- (1) विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22, सन् 1973) के अंतर्गत गठित समन्वय समिति
उन शक्तियों का उपयोग करें व कर्तव्यों का पालन करेंगी जो अधिनियम की घारा 34 में
वर्णित है।
- (2) कुलपति समन्वय समिति के पदेन सदस्य होंगे।

25. परिनियम

- इस अधिनियम के उपबन्धों के अव्यधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित समरूप विधयों
या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे अर्थात्-
- (क) कुलसचिव, वित्त अधिकारी, धेनीय निदेशक व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का तरीका
नियुक्ति की शर्तें, उपलब्धियों, सेवा की शर्तें, शक्तियों व कर्तव्य जिनका ये उपयोग व पालन
करेंगे।
- (ख) कार्यपरिषद् व अन्य प्राधिकारियों की संरचना उनके सदस्यों की पदावधि एवं शक्तियों के
उपयोग तथा कर्तव्यों के पालन जिनका ये उपयोग व पालन करेंगे।
- (ग) धरीकारों व अनुसन्धीकारों की नियुक्तियाँ।
- (घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी परिलक्षियाँ तथा रोका
शर्तें।

- (उ) विश्वविद्यालय के नियोजन में व्यक्तियों की ज्येष्ठता के संबंध में सिद्धांत।
- (च) किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा किसी अधिकारी या प्राधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में जित्सके अंतर्गत अपील या पुनरीक्षण की समयावधि भी आयेगी।
- (छ) विश्वविद्यालय के नियोजन में कोई व्यक्ति या छात्र तथा विश्वविद्यालय के बीच किसी वाद के निराकरण हेतु प्रक्रिया या भंग के संबंध में।
- (ज) विश्वविद्यालय में मानक नियोजन एवं समन्वय के लिए।
- (झ) ऐसे रामरत्न अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिभियमों द्वारा उपर्युक्त किये जाने हैं।

26. (1) प्रथम परिनियम राज्य शासन द्वारा बनाया जावेगा तथा राज्य शासन प्रथम परिनियम में यथा आवश्यक संशोधन करेगा।

परिनियम के से बनाए जाएंगे

(2) प्राधिकारी इसके पश्चात् आने वाली रीति में किसी परिनियम की समय-समय पर बना सकेगी उसे संशोधित या नियन्त्रित कर सकेगी।

(3) प्राधिकारी रवानेवणा से या अन्यथा परिनियम के प्रारूप पर विचार करेगी, परन्तु यह खण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, या अन्य अधिकारियों की परिलक्षियों पर प्रभाव डालने वाले परिनियम पर लागू नहीं होगा।

(4) इस खण्ड के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित प्रारूप कार्य परिषद् को विचार हेतु भेजा जाएगा और कार्यपरिषद् द्वारा व्यक्त ऐसे विचार जो कि ऐसे समय के भीतर जो कुलाधिपति तय करे व तीस दिन से कम न हो, कुलाधिपति प्रारूप को परिवर्तित या अपरिवर्तित स्वरूप में अनुमोदित कर सकेगा।

(5) जहाँ प्रारूप कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तावित किया गया हो वहाँ कुलाधिपति ऐसे प्रारूप को अनुमोदन कर परिनियम को पारित कर सकेगा या उसे अस्वीकार कर पूर्ण रूप से या अंशतः उसमें संशोधन के सुझाव सहित कार्य परिषद् को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकेगा।

(6) इसके पश्चात् कि उपखण्ड (5) के अधीन वापस किये गये किसी प्रारूप पर तथा कुलाधिपति द्वारा सुनाये गये किसी संशोधन पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जा चुका हो, वह कार्यपरिषद् की तत्संबंधी प्रतिवेदन को कुलाधिपति के समक्ष पुनः उपस्थापित किया जावेगा और कुलाधिपति परिनियम को अनुमोदित कर सकेगा या अस्वीकार कर सकेगा।

(7) कुलाधिपति किसी परिनियम के या परिनियम के किसी संशोधन के या किसी परिनियम के नियन्त्रन के ऐसे प्रारूप पर, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रस्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव डालता हो, विचार तथ तक नहीं करेगी और कार्यपरिषद् उस प्रारूप की प्रत्यापना तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी सो उस प्रत्यापना पर राय प्रकट करने का अवसर न दे दिया गया हो।

(8) जहां कुलाधिपति परिनियमों को अनुमोदित कर दे, वहां ये उस तारीख से प्रभायी हो जायेंगे जिसे या कुलाधिपति विनिर्दिष्ट करे।

27. अध्यादेश

(1) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध हो सकेंगे अर्थात्-

(क) छात्रों का प्रवेश, छाक्षाओं के पाठ्यक्रम एवं उसके शुल्क, उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र व अन्य पाठ्यक्रमों हेतु अहतारं, छात्रवृत्ति, पुस्तकारं व अन्यों के लिए शर्तें;

(ख) परीक्षाओं के संचालन जिसमें परीक्षकों एवं अनुसन्धानकार्यकों की नियुक्ति की शर्तें नाम्नलिखित हैं:

(ग) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किये जा सकें।

(2) प्रथम अध्यादेश राज्य शासन के पूर्वानुमोदन से कुलपति द्वारा बनाया जायेगा और ऐसा अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा किसी समय जैसा कि परिनियमों में निहित किया जावे संशोधित, निरसित, या बदला जा सकेगा।

28. विनियम

(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अपने स्वयं के या कोई समिति जिसका उसने गठन किया है और जिसके कामकाज हेतु अधिनियम, परिनियम व अध्यादेश में प्रावधान न हो परिनियम के अनुसार अपने कामकाज हेतु विनियम बना सकेगा जो कि अधिनियम, परिनियम व अध्यादेश से संगत हो।

(2) ऐसा बनाया गया विनियम कुलाधिपति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जायेगा व अनुमोदन की तिथि से प्रभावशील होगा।

29. वार्षिक प्रतिवेदन

(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिषद् के निर्देशन में तैयार किया जायेगा जिसमें अन्य मामलों के अतिरिक्त उन कादमों का उल्लेख होगा जो विश्वविद्यालय ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उठाया है।

(2) ऐसा तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति और राज्य शासन को ऐसी तिथि को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे। ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने के धार यथाशीघ्र विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य शासन विधान सभा को पटल पर रखायाजायेगा।

30. वार्षिक लेखा

(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा कार्यपरिषद् के निर्देशन पर तैयार किया जायेगा तथा उसका अंकेक्षण स्थानीय लेखा रांपरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

(2) लेखा की एक प्रति जिसमें वार्षिकपरिषद् की यदि कोई टिप्पणी हो अंकेक्षण प्रतिवेदन सहित कुलाधिपति द्वारा भेजी जायेगी।

- (3) यार्थिक लेखे पर कुलाधिपति द्वारा की गई टिप्पणी कार्य परिषद् की सूचना में लाई जायेगी और उस टिप्पणी पर कार्यपरिषद् के विचार यदि कोई हो कुलाधिपति को भेजा जायेगा।
- (4) कुलाधिपति के समक्ष लाये गये लेखे की प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन सहित राज्य शासन को भी भेजा जायेगा।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सहित लेखे की प्रति जो राज्य शासन की भेजी गयी है प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र राज्य शासन विचान रामा के पदल पर रखवायेगा।

31. (1) विश्वविद्यालय या प्रश्नोक्त एकमात्रात्मीय विश्वविद्यालय के अधीन नियुक्त होगा और ऐसी संविदा अधिनियम, परिनियम या आच्यादेशों के प्रावधानों के असंगत नहीं होगा।
कर्मचारियों की सेवा शर्तें
- (2) उपराण (1) के अधीन संविदा विश्वविद्यालय में रखी जायेगी तथा उसकी एक प्रति संवैधित कर्मचारी को दी जायेगी।
32. संविदा से उत्पन्न यदि कोई प्राप्त विश्वविद्यालय एवं उसके किसी अधिकारी या शिक्षक के मध्य उत्पन्न हो तो उसका नियाकरण कुलपति द्वारा विद्या जायेगा और कुलपति द्वारा निर्णय के विरुद्ध गवीन कुलाधिपति या उसका या इसे नियन्त्रण को की जायेगी जिसका गठन ये बातें।
विद्यालयों का निर्णय
33. यदि ऐसा प्रश्न उठ जावे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्बन्धित नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हफदार है, ताजला कुलाधिपति को निर्देशित किया जाएगा जिनका उस संबंध में विनिश्चय अंतिम होगा।
विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद
34. इस अधिनियम ने प्रदत्त गान्धीजी उपर्युक्त के सिद्धाय, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या उभयनियाकरण के सदस्यों परदेन सदस्यों, के अतिरिक्त यी समरत आकर्षियक विनियमों व्यापारियों द्वारा दी गयी अपार्थी के सिद्धाय प्रतिक्रिया के अनुभ्यव की जायेगी।
आकर्षियक विनियमों का भरा राना
35. किसी भी प्राधिकारी या निकाय के कार्य या कार्यवाही के बारे इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में रिक्त या रिक्तियाँ रुह गई हैं।
विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाही रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होगी
36. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अच्यापक या एकमात्रात्मीय विचारक किसी भी ऐसे बात दोनों जो कि उसके द्वारा इस अधिनियम या परिनियम या आच्यादेश या विनियम के अधीन सदमाध्यक दी गई हो या जिसका इस प्रकार सदमाध्यक किया जाना आशायित रहा हो कोई नहीं कह सकता कि उन्हें विश्वविद्यालय की जायेगी।
सदमाध्यक पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

- 37. कठिनाइयों का निराकरण**
- (1) यदि इस अधिनियम के उपर्युक्तों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य शासन उस कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे जरूरी व्यवहारिक आदेश जारी कर सकेगा जिसके उपर्युक्त अधिनियम के असंगत न हों।
- 38. संक्रमणीय उपर्युक्त**
- इस अधिनियम व परिनियमों के होने पर भी –
- (i) विश्वविद्यालय खुलने के पहले राज्य शासन एक विशेष कर्तव्यरक्ष्य अधिकारी की नियुक्ति दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए करेगा। विशेष कर्तव्यरक्ष्य अधिकारी वो सेवा शर्तों का उल्लेख उत्तमी नियुक्ति पत्र में होगा;
 - (ii) विशेष कर्तव्यरक्ष्य अधिकारी को कुलपति की शक्तियाँ प्राप्त होंगी;
 - (iii) प्रथम कार्य परिषद् का गठन राज्य शासन के परामर्श पर कुलाधिपति मनोनीत करेगा जिसमें पंद्रह से अनधिक सदस्य होंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा; तथा
 - (iv) (क) प्रथम योजना मण्डल का गठन राज्य शासन के परामर्श पर कुलाधिपति मनोनीत करेगा जिसमें यारह से अनधिक सदस्य होंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
 - (ख) इस अधिनियम द्वारा योजना मण्डल को दी गई शक्तियों व कर्तव्यों के अतिरिक्त जब तक यिद्या परिषद् व अध्ययन मण्डल का गठन इस अधिनियम व परिनियम के अनुसार नहीं हो जाता इनके शक्तियों व कर्तव्यों का उपयोग व पालन करेगा, और इन शक्तियों का उपयोग करते हुए योजना मण्डल ऐसे सदस्यों का सहयोजन कर सकेगा जैसा वह निर्धारित करे।
- 39. राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ब्रह्मण करेगी**
- (1) यदि राज्य सरकार वो यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कतिपय कुप्रशासन वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी परिस्थिति उद्भूत हो गई है कि जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गई है, तो वह अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी, कि विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन होगी।
 - (2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना प्रथमतः ऐसी तारीख से जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है, एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार समय-समय पर वैसी ही अधिसूचना द्वारा प्रवर्तन की कालावधि को ऐसी और कालावधि के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, बढ़ा सकेगी, परंतु ऐसे प्रवर्तन की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं रहेगी।
 - (3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार के कार्यपालिका प्राधिकार का विस्तार इस प्रकार यह जाएगा कि वह उक्त विश्वविद्यालय को ऐसे निवेश दे सकेगी कि विश्वविद्यालय वित्तीय औद्योग्य के ऐसे निवारणों का, जो कि निवेश में विनिर्दिष्ट हैं, अनुपालन करे, और अन्य निवेश दे सकेगी जिन्हें कि राज्य सरकार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त समझे।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विट किसी घात के होते हुए भी, किसी ऐसे निर्देश अंतर्गत कोई ऐसा उपचरण आ सकेगा : -

(एक) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि बजट मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(दो) जिसमें विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की गई हो कि वह प्रत्येक ऐसा प्रस्ताव, जिसमें विचीय अन्तर्विट है, मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(तीन) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी, शिक्षक व अन्य समरत व्यक्तियों के वेतनमान के तथा भत्तों की दरों के पुनरीकाण संबंधी प्रत्येक प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(चार) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए मान समरत व्यक्तियों के या उनको किसी धर्म के पैतनों तथा भत्तों में कमी की जाए;

(पांच) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किए गए अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों के पदों की संख्या में कमी की जाए;

(छः) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि वेतनमानों को तथा भत्तों की दरों को कम किया जाए; और

(सात) जो ऐसे अन्य विषयों के संबंध में हो जिनका कि यह प्रभाव हो सकता हो कि विश्वविद्यालय का विचीय दबाव कम हो जाय:

परन्तु कूलपिपलि यदि वह दैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त दिए गए कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में राहायता देने के लिए ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा जिसमें कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक विशेषज्ञ होंगे।

(5) इस अधिनियम से अलर्विष्ट किसी घात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी या लिए और विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह इस घात के अधीन किए गए निर्देशों को कार्यान्वित करे।

(6) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी इस घात के अधीन दिए गए निर्देश के अपालन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की किसी निधि या संपत्ति के दुरुप्रयोजन के लिए, जिसका कि वह एक पक्षयात्र रहा हो या जो ऐसे अधिकारी के रूप में उसको कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण घटित हुआ हो या सुकार हो गया हो, वैयक्तिक रूप से दायी होगा और इस प्रकार उपगति हुई हानि, संघिन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र पर, ऐसे अधिकारी से भू-राजस्व के वकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

परन्तु हानि की रकम भू-राजस्व के वकाया के रूप में वसूल किए जाने की कोई भी कार्यवाही तथा तक नहीं की जायेगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को रपहीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और ऐसे स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार न कर लिया गया हो।

40. कृतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए उपर्युक्त करने की दृष्टि से अधिनियम को उपांतरिक रूप में लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति

- (1) यदि राज्य सरकार को किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उल्लंघ हो गई है कि जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय के हितों का अभाव विज्ञान, इस अधिनियम के उपर्युक्तों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, और यह कि यैसा करना विश्वविद्यालय के हितों में समीचीन है, तो वह अधिकृतना द्वारा, उसमें (अधिसूचना में) घोषित विषयों से यह निर्देश दे सकेगी कि धारा 9, 15, 16-20, 28, 29, 30 तथा 37 के उपर्युक्त करने की राज्य अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को, लागू होगे।
- (2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना (जो इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है) नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, उस कालावधि में ऐसी और वृद्धि जैसा वह उचित समझे इस प्रकार कर सकेगी कि जिसमें अधिकृतना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक न हो।
- (3) कुलाधिपति, अधिकृतना जारी करने के साथ ही, धारा 9 के अधीन कुलपति की नियुक्ति करेगा तथा इस प्रकार नियुक्त कुलपति, अधिकृतना प्रवर्तन काल में पद धारण करेगा। परंतु यह कि कुलपति, अधिकृतना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद धारण किये रह सकेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण न कर ले, फिर यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (4) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :-
 (एफ) कुलपति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद धारण किए हुए हो, इस यात के होने हुए भी कि उसकी पदाधिक का अवसान नहीं हुआ है, अपने पद को रिक्त कर देगा।
 (बी) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किए हुए हो, उस पद पर नहीं रह जायगा।
 (तीन) जब तक यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का यथा उपांतरिक उपर्युक्तों के अनुसार पुनर्गठन न हो जाये तब तक कुलपति, जो यथा उपांतरित, धारा 9 के अधीन नियुक्त किया गया हो, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि कार्य परिषद् या विद्या परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किए गए हों।
 परंतु कुलाधिपति, यदि वह यैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किए गए कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिए ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा, जिसमें कि एक शिक्षाविद् एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे।
- (5) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, कुलपति, अधिनियम के यथानुपांतरित उपर्युक्तों के अनुसार कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिए कार्यवाही करेगा और इस प्रकार गठित की गई कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् अनेवाली तारीख को या उस तारीख को, जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाए, इन दोनों में से जो भी पश्चात्यर्ती हो, कार्य करना

प्रारंभ कर देगी।

परन्तु यदि कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् अधिसूचना के प्रवर्तन के कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाय तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग, कुलधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, उस समय तक करेगा जब तक की वथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाय।

41. धारा 40 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान पर, इस अधिनियम के उपबंध, जैसे कि वे अधिसूचना में वर्णित विश्वविद्यालय लागू होने के संबंध में का अवसान होने पर उपांतरित किए गये हैं, उसके संबंध में प्रवृत्त नहीं रहेंगे और इस अधिनियम के अन्य सुसंगत उपबंध पुनः प्रवर्तित हो जायेंगे तथा उसको लागू रहेंगे।

परन्तु अधिसूचना के प्रवर्तन के अवसान का-

- (क) उपांतरित उपबंधों या उनके अधीन किये गये किसी आदेश के पूर्ववर्ती प्रवर्तन पर या उन उपबंधों या उस आदेश के अधीन की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या
- (ख) यथा उपांतरित उपबंधों या उनके अधीन किये गये किसी आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकारी, विशेषाधिकार, वाच्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या
- (ग) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, वाच्यता या दायित्व के संबंध में किसी अन्येषण या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा अन्येषण या उपचार इस प्रकार संस्थित या प्रवर्तित किया जा सकेगा। मानो कि उपांतरित उपबंधों का लागू होना समाप्त नहीं हुआ हो।

परिणाम जो धारा 40 के अधीन अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर होगा

रायपुर, दिनांक 24 अनुवर्ती 2005

क्रमांक 640/21-अ/प्रालय/04.—भारत के खंडितान के अनुस्तुत 348 के खण्ड (3) के अनुसार में पर्याप्त सुन्दरलाल शर्मा (मुक) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्र. 26 सन् 2004) का अंगेनी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एजट्प्रारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह करूर, उप-सचिव,

“विजेन्स एस्ट के अनुगत डाक टुकड़े का द्वारा भुगतान (विन डाक टिकट) के प्रयोग हेतु अनुमति, अमरीक बो. 2-22-छत्तीसगढ़ नगद/38 रि. से, पिलाई, दिनांक 30-5-2011।”



पंचोपनि क्रमांक “छत्तीसगढ़-टू४
तक. 114-009/2003/20 (C) 03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 अगस्त 2006—भाइ 9, राक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाक कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 11175/289/21-अ/प्राह्यपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित आधिकारिक विषय पर दिनांक 28-8-2006 को राज्यपाल को अनुमति प्राप्त हो चुको है, रातहारा सर्वज्ञाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से उथा अनाद्यान्मार,
विमला सिंह कपूर, उप-मंत्री,

उत्तीर्णगढ़ अधिनियम
(ज्ञानक 23 सन् 2006)

**पं. सुन्दरलाल शर्मा (मूल) विश्वविद्यालय उत्तीर्णगढ़ (संशोधन)
अधिनियम, 2006**

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मूल) विश्वविद्यालय उत्तीर्णगढ़ अधिनियम, 2004 (ज्ञानक 16 सन् 2004) के
संशोधन हेतु अधिनियम,

भारत गणराज्य के भूतावनवै वर्ष में उत्तीर्णगढ़ विधान-मण्डल द्वारा प्रिभालिखित भए ने यह अधिनियम तो—

संक्षिप्त भाष्य तथा प्राप्ति— 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पं. सुन्दरलाल शर्मा (मूल) विश्वविद्यालय उत्तीर्णगढ़ (संशोधन)
अधिनियम, 2006 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तीर्णगढ़ राज्य पर होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन को तारोण्य रे प्रमृत होगा।

परिचय

2. इस अधिनियम में जब तक सदृश से अन्यथा असंक्षिप्त न हो—

(एक) "मूल अधिनियम" से अधिकृत है, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मूल) विश्वविद्यालय उत्तीर्णगढ़
अधिनियम, 2004 (ज्ञानक 26 सन् 2004).

पारा-9 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम को पारा-9 को उपधारा (5) में राज्य "दो" के स्थान पर भारत "पर्यावरण" प्रतिम्यापित्र किया जाए।

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

ज्ञानक 11176/289/21-भ/प्राकृष्ण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के एकांक (3) के अनुसरण में पहिला सुन्दर लाल शर्मा,
(मूल) विश्वविद्यालय उत्तीर्णगढ़ (संशोधन) अधिनियम, 2006 (ज्ञ. 23 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवान गान्धीजी के प्रतिभक्त से एकट्टरा ब्रकारिन
किया जाता है।

उत्तीर्णगढ़ के उपचाल के गान्धी जी का अनुवान—
विमला सिंह छपूर, राज्य उपराज्यपाल।